

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

11

संख्या नं० 107 / 2024

तारीख रजू :- 26.6.2024

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

संख्या नं० नम्बर 2024/234

उनवान



शिव पुत्र सोहन सिंह जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-02

बनाम

शिव सिंह पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

—प्रतिवादीगण 33

दिनांक	फर्द अहकाम
26.6.2024	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (हेमराज गुर्जर)                      उप खण्ड अधिकारी                      हिण्डौन जिला करौली                 </p>
8.7.24	<p><del>पत्रावली द्वारा शिवलाल की अज्ञात पर पेश हुई। वादीगण की ओर से पेश किया गया कि वादीगण पत्रावली को पेश नहीं कर रहे हैं। वादीगण को वादीगण की ओर से पेश किया गया कि वादीगण पत्रावली को पेश नहीं कर रहे हैं। वादीगण को वादीगण की ओर से पेश किया गया कि वादीगण पत्रावली को पेश नहीं कर रहे हैं।</del></p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      हिण्डौन सिटी (करौली)                 </p>

